(ii) rationalisation of work load and labour force;

(iii) bulk procurement of raw material on centralised basis; and

(iv) installation of diesel generating sets in some Mills.

**Application from Gujarat Goverament for sponge plant based on gaseous reduction process**

8604. SHRI C.D. PATEL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Gujarat has requested vide application dated 26th March, 1979 for a 4,00,000 tonnes per annum capacity sponge plant based on gaseous reduction process which would need 0,5 MCMD of shore gas; and

(b) if so, details of action taken and time likely to be taken by Government for its finalisation?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is being looked into by the Planning Commission with a view to suggest the best site for locating the plant, based on techno-economic considerations. They have advised that they would be sending their recommendation soon.

**केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों द्वारा राजभाषा संबंधी नीति का क्रियान्वयन**

8605. श्री केशवराव पारधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में केन्द्रीय राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की प्रगति की तीन स्तरों पर, अर्थात् प्रशासनिक मंत्रालयों, राज भाषा विभाग और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा, समीक्षा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तीन-तीन स्तरों पर इस की समीक्षा किस विचार को लेकर की जाती है ;

(ग) अनुदेशों के प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन में सुस्ती, अनुदेशों की अनदेखी तथा सरकारी खर्च में अनावश्यक वृद्धि से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है क्योंकि इन तीन विभागों में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य का स्पष्ट रूप से कोई विभाजन नहीं किया गया है ; और

(घ) सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा इस प्रयोजन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली से बाहर कितनी बैठकों तथा सम्मेलनों का आयोजन किया गया ; उन पर कितना खर्च हुआ और उक्त खर्च को किस ने सहन किया ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)** : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में केन्द्रीय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी निगरानी करने का दायित्व मूलत: सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों को सौंपा गया है । राजभाषा विभाग का दायित्व इस विषय में समग्रत: नीति निर्धारित करने तथा उसे तेजी से लागू करने के उपाय सुझाने तक ही सीमित है । सरकारी उद्यम कार्यालय सरकारी उद्यमों संबंधी अन्य कार्यों की भांति हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के मामले में एक समन्वयकारी भूमिका अदा करता है । इस प्रकार इन तीनों अभिकरणों में से प्रत्येक का दायित्व स्पष्टत: बंटा हुआ है तथा उनमें परस्पर कोई अतिव्यापन नहीं है ।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी उद्यम कार्यालय के अधिकारियों ने अपना समन्वयकारी दायित्व पूरा करते हुए राजभाषा विभाग तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित सरकारी उद्यमों के हिन्दी अधिकारियों से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के विषय में विचार विमर्श करने के लिए कलकत्ता, बम्बई और